महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह

समस्या और समाधान

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में प्रकाशित

बाल विवाह क्या है?

21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी को बाल विवाह माना जाता है। शादी के समय कोई भी पक्ष यदि इससे कम उम्र का है, तो वह शादी बाल विवाह मानी जाएगी।

बाल विवाह प्रतिषेध कानून, 2006 के प्रावधान:

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में 21 साल से कम उम्र के लड़कों और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को बच्चा माना गया है (धारा 2(ए))।

2. इस कानून के तहत बाल विवाह को अवैध और शून्य करार दिया गया है। यह कानून बाल विवाह से जुड़े वर या वधू के विवाह को शून्य घोषित करवाने का विकल्प प्रदान करता है (धारा 3(1))।

3. इस कानून के तहत बाल विवाह की अनुमति देने, विवाह तय करने, विवाह करवाने या समारोह में हिस्सा लेने वाले लोगों को सजा दी जा सकती है। इस कानून के मुताबिक:

   क. अगर कोई पुरुष 18 साल से अधिक उम्र का है और बाल विवाह करता है तो उसे दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही सजा मिल सकती है (धारा 9)।

   ख. बाल विवाह करवाने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है (धारा 10)।

   ग. अभिभावक अथवा किन्हीं अन्य द्वारा बाल विवाह को बढ़ावा/अनुमति देने या उसमें भाग लेने की गतिविधि की जाती है तो उन्हें दो वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। महिलाओं को कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल अर्थ दण्ड दिया जायेगा (धारा 11 (1))।

बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है:

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी) के पास यह शिकायत दर्ज करवाता है कि इस तरह की शादी तय की गई है या इस तरह की शादी होने जा रही है तो उसे रोका जा सकता है। शिकायत के आधार पर पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी जाँच करके मामले को मजिस्ट्रेट की नजर में लाते हैं। इस आलोक में मजिस्ट्रेट उस शादी को रोकने का आदेश जारी कर सकता है (धारा 13)।
2. अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश को मानने से इंकार करता है तो उसे दो वर्ष तक के साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है या उस पर एक लाख रूपये तक जुर्माना किया सकता है अथवा दोनों सजा दी जा सकती है।

बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली, 2010 की धारा 9 (1) के तहत्

1. बाल विवाह के पहले या बाद में कोई भी व्यक्ति इस घटना की सूचना बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थाना या ग्राम पंचायत के सरपंच को मौखिक या लिखित या डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है।
2. बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी से भिन्न अधिकारी बाल विवाह अनुष्ठान की संभावना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी सूचना रिपोर्ट के साथ, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को देंगे, जिस पर वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

हम क्या कर सकते हैं?

बाल अधिकारों के उल्लंघन और कम उम्र में विवाह से सेहत के लिए पैदा होने वाले खतरों के बारे में जागरुकता फैला सकते हैं। बाल विवाह की सूचना अधिकृत व्यक्तियों को देकर आप उसकी रोकथाम करने और अपराधियों को सजा दिलवाने में मदद कर सकते हैं।

अब मैं नहीं डरती

क्योंकि मुझे मालूम है हेल्पलाईन नम्बर

181

सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए

हेल्पलाईन पर किस प्रकार की सहायता मिलेगी?

महिला हिंसा से संबंधित कोई भी शिकायत के निवारण में सहयोग के लिए सहायता मिलेगी।

हेल्पलाईन पर संपर्क कैसे करें?

किसी भी फोन या मोबाईल से निःशुल्क 181 डायल करें।

क्या हेल्पलाईन पर संपर्क करने की कोई समय सीमा है?

कॉल करने का समय तत्काल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है, जिसे 24x7 किया जाना प्रस्तावित है।

Conceptualized, Designed & Printed by: punament@gmail.com

बिहार सरकार

महिला विकास निगम, बिहार

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800 001 (बिहार)

दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, 2537 843, वेबसाईट : www.wdcbihar.org